

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 38-एफ-1-39-2008-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद् गोटेगांव को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर पालिका परिषद् गोटेगांव अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	नरसिंहपुर	गोटेगांव	नगर परिषद्, गोटेगांव	1. नगर परिषद् गोटेगांव का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 39-एफ-4-112-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत साली चौका को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् साली चौका (बाबई कला) अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	नरसिंहपुर	गाडरवारा	नगर परिषद्, साली चौका (बाबई कला)	1. ग्राम बाबईकला का संपूर्ण क्षेत्र 2. ग्राम बाबईखुर्द का संपूर्ण क्षेत्र 3. ग्राम केसला का संपूर्ण क्षेत्र 4. ग्राम मोहपा का संपूर्ण क्षेत्र 5. ग्राम सावरी का संपूर्ण क्षेत्र 6. ग्राम खेरूआ का संपूर्ण क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 40-एफ-4-109-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत कुरावर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद् कुरावर अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	राजगढ़	नरसिंहगढ़	नगर परिषद्, कुरावर	1. ग्राम पंचायत कुरावर का संपूर्ण क्षेत्र 2. ग्राम पंचायत लसूडल्या रामनाथ का संपूर्ण क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.